



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष 0141-2227275, ई-मेल. Seprd123@gmail.com
क्रमांक:- एफ 4(69) परावि/पीसी/सुरक्षा गार्ड/विविध/2014/ जयपुर, दिनांक:- 4215

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, समस्त।

19-10-16

विषय:-अटल सेवा केन्द्रों के सुरक्षा गार्डों को मानदेय भुगतान
"RTGS" से करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अटल सेवा केन्द्रों के सुरक्षा गार्डों को मानदेय भुगतान के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा याचिका संख्या 17668/2015 श्योजी लाल गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में निर्णय दिनांक 6.9.2016 द्वारा सुरक्षा गार्डों को "RTGS" (real time gross settlement) के अनुसार मानदेय भुगतान करने तथा सभी जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

निर्णय की प्रति संलग्न कर निर्देश है कि अटल सेवा केन्द्रों के सुरक्षा गार्डों को मानदेय भुगतान के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, परावि को प्रेषित है।

1. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति, समस्त को पालनार्थ।
3. प्रोग्रामर, पंचायती राज को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता